कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

E-Mail : eewrdiv3baran@gmail.com - Phone No : 7453-237209

क्रमाक/अअ/फोरेस्ट/2018–19/1556 दिनांक/19.9.19

श्रीमान उप वन संरक्षक
वन विभाग, बारां।

विषय :– हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज के बांध निर्माण में आने वाली वन भूमि अनापत्ति से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 9558 दिनांक 18.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर EDS दिनांक 22.08.2019 के क्रम में आपके पत्रांक 9558 दिनांक 18.09.2019 द्वारा रिपोर्ट की गई कमियों की बिन्दुवार पालना निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	टिप्पणी/आक्षेप	पालना/प्रतियुत्तर
1	बिन्दु संख्या 1 उक्त बिन्दु की पालनां में डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र का क्षेत्रफल डीजीपीएस नक्शे पर अंकन सही नहीं है। नक्शे पर उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल 286.47 के स्थान पर 286.50 अंकित है, जो सही किया जाना प्रस्तावित है।	क्षेत्रफल सही अंकित कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 2 में वांछित अनुसार Rehabilitation and Resttlement Plan की अब तक की कार्यवाही का विवरण संलग्न नहीं किया गया है, जो ऑनलाईन कर हॉर्ड प्रति में उपलब्ध करावें।	Rehabilitation and Resttlement Plan की अब तक की गई कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर 1.641 लाख प्रति हैक्टर है, तथा इसके अलावा Possession value तथा Habitat Fragmentation Cost भी सही नही की गयी है जिसे सही किया जाना प्रस्तावित है। उक्त बिन्दु के तहत संलग्न किये गये दस्तावेजों की हस्ताक्षरित एवं पठनीय प्रति संलग्न करे।	उपरोक्तानुसार दर सही कर बी.सी. रेश्यो संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 4 के तहत प्रस्तावित गैर वन भूमि के तीन पेचेज की भूमि का जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित की गयी वन भूमि से मिलान नहीं हो रहा है, कृपया स्थति स्पष्ट करे।	श्रीमान् जिला कलक्टर के पत्रांक 6029–38 दिनांक 07 जुलाई 2008 द्वारा सेट–अपार्ट भूमि में ग्राम तिखोद के खसरा नम्बर 96 में 5.50 हेक्टर अंकित है जबकि राजस्व विभाग द्वारा जारी खतौनी अनुसार ग्राम तीखोद के खसरा नम्बर 96 में 5.05 हेक्टर अंकित है। अतः 5.05 हेक्टर के अनुसार सेट–अपार्ट भूमि का कुल योग 286.50 हेक्टर आता है। उपरोक्तानुसार ही प्रस्तावित गैर वन भूमि के तीनों पेचेज की भूमि का मिलान कर दिया गया है।

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

O/C